कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

पत्र पंजी
03 MAR 2017
1894
संख्या.....

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), भोजपुर(आरा)
जिला– भोजपुर

पत्र
27 FEB 2017

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर(आरा) के अप्रैल 2008 से सितम्बर, 2016 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 762 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/ 14645/453 **दिनांक–** 23.02.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भोजपुर

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 23/02/17
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र- I

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या:- 762/16-17

भाग-I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर (आरा)
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर (आरा)
3	लेखा की अवधि:	अप्रैल 2008 से सितम्बर, 2016 तक
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	13.10.2016 से 24.10.2016
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री हेमन्त कुमार झा , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री नागेन्द्र कुमार यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार, वरीय लेखापरीक्षक
6	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री सतेन्द्र कुमार सहाय , लेखापरीक्षा अधिकारी
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह अप्रैल, 2008 से माह सितम्बर, 2016 तक के लेखाओं की नमूना जाँच की गई। माह मई, 2013 व जून, 2016 के लेखाओं की विस्तृत जाँच, कोषागार से किए गए आहरणों एवं कोषागार में जमा की गई राशियों का सत्यापन कोषागार के अभिलेखों से किया गया। माह मई, 2013 व जून, 2016 के लेखाओं की अंकगणितीय जाँच की गई।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	लागू नहीं | जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर (आरा) का पहला निरीक्षण प्रतिवेदन है |
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हाँ |

भाग-II
खण्ड-"क"
शून्य
भाग –II
खण्ड –"ख"

कंडिका संख्या 1

अलाभकारी व्यय : रु. 7.72 लाख

योजना संख्या : 38 F2/2011-12

कार्य का नाम : आरा नगर निगम में न्यू पुलिस लाइन स्थित ब्रह्म बाबा के सामने वशिष्टपुरी मुहल्ले के नाली एवं पी.सी.सी. सड़क निर्माण |

एकरारनामा राशि : रु. 13,58,758/-

तकनीकी स्वीकृति की तिथि : 29.09.2011

प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि : 03.01.2012

सड़क की लम्बाई : 332 मी.

नाला की लम्बाई : 332 मी.

कार्य शुरू करने की तिथि : 31.03.2012

कार्य अवधि : 3 माह (30.06.2012)

नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 2375 दिनांक 12.05.2008 में स्पष्ट किया गया था कि इसके अंतर्गत पथ निर्माण में ऐसे पथों का चयन किया जायेगा जो नगरपालिका के हों तथा वे राष्ट्रीय/राज्य मार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों/मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ता हो | परन्तु, प्रासंगिक योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़क के रूपांकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पथ आरा-बक्सर मुख्या सड़क से जुटने वाली सड़क के उप-मार्ग में नेत राम के मकान से सत्यवर्ती सदन जो कि गली में अवस्थित है का था, जबकि इसके तकनीकी प्रतिवेदन में अंकित था कि प्रस्तावित सड़क आरा-बक्सर मुख्य पथ के अन्दर जाती है एवं पुनः आरा- बक्सर मुख्य सड़क मार्ग पर निकलती है |

साथ ही, निर्माण कार्य से पूर्व इस बात को सुनिश्चित नहीं किया गया कि प्रस्तावित जमीन नगरपालिका के स्वामित्व का था या नहीं | इस निर्माण कार्य की दूसरी मापी दिनांक 30.06.2012 को लिया गया एवं तदनुपरांत भुगतान किया गया | दूसरी मापी तक किये गए कार्य का मूल्य रु. 7,71,314/- का था | इस निर्माण में भू-पट्टी का कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग का भी था जैसा कि कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के पत्रांक 2292 दिनांक 31.08.2012 से स्पष्ट था | इस पत्र के आलोक में जिला संचालन समिति के संपन्न बैठक (03.06.2013) के कार्रवाई में इस योजना को बंद करने का आदेश पारित किया गया एवं योजना बंद कर दी गई | योजना को बंद किये जाने के समय निर्माण कि status report प्रतिवेदन में संलग्न नहीं था, जिससे किये गए कार्य का औचित्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका |

स्पष्ट है कि पथ एवं नाले पर एकरारनामा राशि का लगभग 50 प्रतिशत व्यय कर इस योजना को आधे-अधूरे में ही बंद कर दिया गया | इस तरह योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तथा योजना पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा |

उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कार्यान्वयन एजेंसी का दायित्व होगा कि कोई भी निर्माण कार्य निजी/विवादित जमीन में नहीं करायेंगे तथा यदि ऐसा करते हैं तो इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और योजना में व्यय की गई राशि उनसे वसूलनीय होगी |

उपर्युक्त तथ्यों एवं आंकड़ों को संपुष्ट करते हुए लेखापरीक्षा को स्पष्ट किया जाए कि किन परिस्थितियों में विभागीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये बिना कार्य किया गया |

जवाब में कहा गया कि यह सड़क मुख्य सड़क के उप-मार्ग में अवस्थित था जो कि आरा-बक्सर मेन रोड से आरा नगर निगम के मुख्य सड़क पर अवस्थित मकान से सत्यवर्ती सदन तक जाती थी| साथ ही, भूमि से सम्बंधित अंचलाधिकारी भोजपुर का प्रतिवेदन संलग्न किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यह जमीन आरा-बक्सर पुराना रोड था |

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योकि संलग्न नक़्शे से स्पष्ट था कि प्रासंगिक सड़क आरा-बक्सर एन.एच. सड़क के लिंक रोड पर अवस्थित गली का था| साथ ही, सड़क के नगरपालिका के स्वामित्व के सम्बन्ध में नगर निगम एवं लोकनिर्माण विभाग (रोड) से सुनिश्चित किया जाना चाहिए था |

अतः इस सम्बन्ध में जवाबदेही तय कर की गई कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए |

कंडिका संख्या 2

(क) **वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना : रु. 84.57 लाख**

(ख) **विपत्र पारित करने में अनियमितता : रु. 68,48,660/-**

(ग) **ढुलाई मद में अनियमित भुगतान : रु. 6,38,330/-**

(घ) **श्रम सेस राशि की कटौती नहीं किया गया : रु. 66,497/-**

योजना संख्या : 2 F2 /2012-13

कार्य का नाम : आरा नगर निगम स्थित रमना मैदान का सौन्दर्यीकरण कार्य |

तकनीकी स्वीकृति की तिथि : 05.12.2011, राशि रु. 1,10,99,000/-

प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि : 07.01.2012, राशि रु. 1,10,99,000/-

एकरारनामित राशि : रु. 84,56,762/-

कार्यादेश की तिथि : 06.06.2012

कार्य अवधि : 6 माह (यानि 05.12.2012)

पूरक एकरारनामा की तिथि : 20.06.2013

कार्यादेश की तिथि : 20.06.2013

कार्यावधि : 2 माह (19.08.2013)

पांचवे चलंत विपत्र के लिए मापी की तारीख : 29.10.2012

29.10.2012 तक की गई कार्य का मूल्य : रु. 68,48,660/-

(क) **वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना : रु. 84.59 लाख अर्थात एक्रारनामित राशि का 80.98 प्रतिशत |**

यह योजना मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनान्तर्गत थी | इसके क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश (ज्ञापांक : 2375 /न.वि.एवं आ.वि. दिनांक 12.05.2008) में स्पष्ट कर दिया गया था कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण किया जायेगा तथा निर्धारित समय में उन्हें पूर्ण भी किया जायेगा {कंडिका :2(XVIII)} |

कार्यकारी एजेंसी, डूडा, आरा द्वारा उपलब्ध कराई गई अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि अंतिम नापी कि तिथि तक कुल 80.93 प्रतिशत, एकरारनामित राशि मूल्य का कार्य किया गया| शेष बचे हुए कार्य का 19.08 प्रतिशत मूल्य के कार्य को कार्य समाप्ति के तिथि 20.11.2012(22 दिन) तक में पूरा कर लिया जाना था | परन्तु समय से कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद कार्यकारी एजेंसी द्वारा इसे पूर्ण कराने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया | इसी संवेदक से पुनः पूरक एकरारनामा दिनांक 20.06.2013 को किया गया जिसकी कार्यावधि 2 माह थी | परन्तु संवेदक द्वारा कार्य संपन्न नहीं करने के कारण यह एकरारनामा 2F2//12-13 कार्यकारी एजेंसी द्वारा विखंडित किया गया और इसकी जानकारी संवेदक को दिनांक 08.01.2014 को दी गई | लेखापरीक्षा के अवधि तक यह कार्य अपूर्ण रहा | इस तरह कार्यकारी एजेंसी के शिथिलता के कारण आम जनता इस कार्य के होने के लाभ से वंचित रहा |

अतः लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया कि

(i) प्रासंगिक कार्य को संपन्न कराने हेतु कार्यकारी एजेंसी द्वारा क्या सार्थक प्रयास किया गया जिससे कार्य समय से पूरा हो |

(ii) मूल एकरारनामा के कार्यों को समय से पूरा नहीं करने पर उचित कार्रवाई करने में शिथिलता किस परिस्थिति में की गई, और

(iii) जिस संवेदक के कार्य-प्रगति की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, उससे किस परिस्थिति में पूरक एकरारनामा किया गया |

(ख) **विपत्र पारित करने में अनियमितता : रु. 68,48,660/-**

कार्य में लघु खनिज के उपभोग करने की दशा में चलंत लेखा विपत्र के साथ कार्य में व्यवहृत खनन सामग्रियों से सम्बंधित एम.एंड एन. फॉर्म संलग्न होना चाहिए जिसे जिला खनन पदाधिकारी के सत्यापन के पश्चात विपत्र पारित करना चाहिए |

इस कार्य से सम्बंधित लेखा अभिलेख जो कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया था उससे स्पष्ट हुआ कि विपत्र के साथ फॉर्म एम.एंड एन. समर्पित नहीं किया गया था | अतः लेखापरीक्षा को एम. एंड एन. फॉर्म संलग्न एवं इसके सत्यापन के बिना विपत्र पारित किया गया |

(ग) **ढुलाई मद में अनियमित भुगतान : रु. 6,38,330/-**

अभिलेखों के जाँच से स्पष्ट हुआ कि लघु खनिजों के ढुलाई की संगणना लीड के आधार पर की गई थी| संवेदक द्वारा फॉर्म एम. एंड एन. नहीं दिया गया था | अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया कि लघु खनिजों से सम्बंधित ढुलाई राशि किस आधार पर निर्धारित करते हुए इससे सम्बंधित भुगतान किया गया |

(घ) **श्रम सेस राशि की कटौती नहीं किया गया : रु. 66,497/-**

श्रम शेष व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक कार्य योजना के लागत का एक प्रतिशत का प्रावधान प्राक्कलन में करना चाहिए एवं पारित विपत्र राशि का एक प्रतिशत राशि भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित की जानी चाहिए| प्रासंगिक योजना के जाँच क्रम में स्पष्ट हुआ कि BOQ में श्रम शेष के राशि की संगणना का प्रावधान किया गया था, जिसे तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी | परन्तु यह देखा गया कि संवेदक के पारित विपत्र राशि का एक प्रतिशत श्रम सेस की राशि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को नहीं भेजी गई थी , सिर्फ पांचवे चलंत विपत्र के राशि का 1% के रूप में रु. 1989 की कटौती की गई थी जबकि कटौती योग्य कुल राशि रु. 68,486 .00 थी | अतः अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए कि किस परिस्थिति के कटौती योग्य श्रम सेस की राशि रु. 66497/- (रु. 68486.00 - रु. 1989) कर्मकार कल्याण बोर्ड को नहीं भेजी गई |

जवाब में कहा गया कि ससमय कार्य कराने हेतु संवेदक को दिनांक 02.08.2012 एवं 31.01.2013 को पत्र लिखा गया, दिनांक 02.08.2013 को संवेदक को चेतावनी पत्र एवं दिनांक 20.12.2013 को अंतिम चेतावनी पत्र देते हुए दिनांक 08.01.2014 को एकरारनामा विखंडित किया गया| एम. एंड एन. फॉर्म संवेदक द्वारा जमा नहीं किये जाने के कारण रॉयल्टी की राशि की कटौती की गई, ढुलाई मद की अनियमित भुगतान पर कोई जवाब नहीं दिया गया और श्रम शेष के विषय में कहा गया कि अवशेष राशि की कटौती संवेदक के जमानत राशि से काटकर कर दी जाएगी |

जवाब संतोषजनक नहीं है| रमना मैदान का सौन्दर्यीकरण का कार्य दिसम्बर, 2012 में समाप्त हो जाना था, इसके लिए कार्यालय को सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए था| लेखापरीक्षा की तिथि तक योजना पूर्ण नहीं हो पाया | अतः एकरारनामा के विखंडन का कार्य जनवरी 13 में ही करते हुए अवशेष कार्य पूरा कर लेना चाहिए था | कार्यालय के निष्क्रियता के कारण योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई |

एम.एंड एन. फॉर्म को जिला खनन पदाधिकारी से सत्यापन के उपरांत ही विपत्र पारित करना चाहिए एवं एम. एंड एन. चालान के आधार पर ही ढुलाई मद की राशि को पारित करना चाहिए | श्रम शेष की राशि को जमा कर इसकी साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए |

कंडिका संख्या 3

पथ एवं नाला निर्माण मद में निर्धारित प्रतिशत से अधिक व्यय किया जाना

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत शहरी विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए निधि का आवंटन जल निकासी सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्तायुक्त सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोधार तथा पार्कों, घाटों, जलाशयों इत्यादि हेतु किया जाना था |

नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 2375 दिनांक 12.05.2008 के कंडिका 2.32 के अंतर्गत जिलों को उपलब्ध कराई गई राशि का 75 प्रतिशत राशि सड़क तथा नालों के निर्माण में व्यय करना है एवं शेष 25 प्रतिशत

राशि अन्य कार्यों में करना था| इस प्रतिशतता को क्रमशः 65 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत विभाग के संकल्प संख्या 2175 दिनांक 05.09.2013 द्वारा किया गया |

जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर (आरा) द्वारा उपलब्ध कराए गए योजना विवरणी से स्पष्ट था कि योजना का प्राक्कलन एवं व्यय निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया :-

वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2016-17 (सितम्बर, 2016 तक)				
मद	कुल योजना का प्राक्कलन	राशि (लाख रु. में)	व्यय राशि	योजना पूर्ण
पथ एवं नाला	249	4771.167	3301.80	175
अन्य कार्य	16	397.618	214.620	07

इस तरह प्राप्त आवंटन के विरुद्ध 92.31 प्रतिशत राशि पथ एवं नाला निर्माण के लिए निर्धारित किया गया एवं 7.69 प्रतिशत अन्य निर्माण कार्य के लिए निर्धारित किया गया | अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया कि किस परिस्थिति में पथ/नाला मद में अनुमत्य राशि से अधिक राशि निर्धारित की गई |

जवाब अप्राप्त था | अतः इस सम्बन्ध में जवाब अपेक्षित है |

कंडिका संख्या 4

<u>श्रम सेस की कटौती की गई राशि को सम्बंधित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित नहीं किया जाना - रु. 13,32,794/-</u>

The Building and other construction workers' welfare cess Act, 1996 एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 39 दिनांक 10.06.2008 के साथ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्ध-सरकारी पत्र संख्या बी.सी.डब्ल्यू.सी.-1/2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्यों पर किये गए व्यय का एक(1) प्रतिशत वर्ष 2007-2008 से निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कटौती कर कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा किया जाना निदेशित था |

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर (आरा) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ के अनुसार निर्माण कार्यों पर किये गए व्यय का एक प्रतिशत (1%) श्रम सेस की कटौती निम्न प्रकार से की गई थी, किन्तु श्रम सेस के रूप में कार्यालय द्वारा कटौती की गई राशि को भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में लेखापरीक्षा की अवधि तक जमा नहीं किया जा सका था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	श्रम सेस के रूप में कटौती कि गई राशि (रु. में)
1.	2008-09 से 2011-12	अंकेक्षण में आंकड़े/दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए	
2.	2012-2013	1,17,006.00
3.	2013-2014	3,74,580.00
4.	2014-2015	80,546.00
5.	2015-2016	5,12,783.00
6.	01.04.16 से 30.09.2016	2,47,879.00
	कुल	13,32,794.00

उपरलिखित तथ्यों/आंकड़ों को संपुष्ट करते हुए लेखापरीक्षा को स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि किन परिस्थितियों में निर्माण कार्यों से श्रम सेस के रूप में कार्यालय द्वारा कटौती की गई राशि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में ससमय जमा नहीं की गई |

जवाब में कहा गया कि श्रम सेस की राशि भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा कराने हेतु HDFC BANK का ड्राफ्ट संख्या 003100 बना लिया गया है तथा इसे सम्बंधित विभाग में जमा करने की कार्रवाई की जा रही है |

कार्यालय द्वारा श्रम सेस की राशि को भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने से सम्बंधित साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय

कंडिका संख्या 5

रोकड़ बही में त्रुटियाँ : रु. 71.06 लाख |

(i) **<u>रोकड़ बहियों के व्यय पक्ष में राशि कम दिखाया जाना :</u> रु. 400/-**

(ii) **<u>रोकड़ बहियों के व्यय पक्ष में राशि कम दिखाया जाना :</u> रु. 1,47,886/- (रु. 52,886/- + रु. 95,000/-)**

(iii) **<u>रोकड़ बही के आवंटन/आय पक्ष में प्रविष्टि दर्ज न होना :</u> रु. 17,55,000/-**

(iv) **सचिव कोषांग के रोकड़ बही से निर्गत राशि का जिला अभियंत्रण कोषांग के रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं : रु. 52,03,186/-**

(i) **<u>रोकड़ बहियों के व्यय पक्ष में राशि कम दिखाया जाना : रु. 400/-</u>**

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर(आरा) से सम्बंधित जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा संधारित रोकड़ बही (मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना) के संव्यवहार अवधि (01.04.2015 से लेखापरीक्षा अवधि तक) के नमूना परीक्षा में निम्न त्रुटियाँ लेखापरीक्षा के प्रकाश में आईं थीं :-

(i) जिला अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर(आरा) के रोकड़ बही (संव्यवहार अवधि : 01.04.2015 से लेखापरीक्षा अवधि तक) के नमूना जांच में यह पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या छियासी(86) पर01 जून, 2016 को Opening Balance Rs. 5,40,15,094/- दर्शाया गया था | आगे के जाँच क्रम में यह पाया गया कि दिनांक 10.06.2016 को कुल व्यय रु. 85,56,187/- के स्थान पर उस तिथि का कुल व्यय रु. 85,55,787/- दर्शाया गया था | इतना ही नहीं, जून, 2016 के संव्यवहारों के जाँच क्रम में रोकड़ बही में चेक क्रमांक/संख्या लिखने के दौरान लिपिकीय भूल के कई मामले लेखापरीक्षा के प्रकाश में आये थे, जो रोकड़ बही के संधारण के सामान्य नियमों के प्रतिकूल था|

(ii) दिनांक 10.06.2016 के डिटेल्ड व्यय के पृष्ठ संख्या नवासी (89) की चौथी प्रविष्टि निम्न प्रकार से अकित दिखाई गई थी :-

तिथि	पृष्ठ संख्या	विवरण	रोकड़	योग(रु.में)
10.06.2016	नवासी(तीसरी प्रविष्टि)	By exp. done	4,27,611	12,24,308/-
	नवासी(चौथी प्रविष्टि)	By exp. done	19,34,957	**3,58,865/-**
	नवासी(पांचवी प्रविष्टि)	-do-	4,74,899	**36,33,764/-**.

उपरलिखित तथ्यों/आंकड़ों को सम्पुष्ट करते हुए लेखापरीक्षा को उपर्युक्त त्रुटियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया |

जवाब में कहा गया कि अंकेक्षण दल द्वारा मो. 400/-का अंतर पाया जाना लिपिकीय भूल थी जिसका सुधार रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 104 पर कर लिया गया है तथा अंकेक्षण दल द्वारा इसे देखा जा सकता है | पुनः यह भी कहा गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 89 पर चौथी प्रविष्टि का योग मो. 3,58,865/-रु. लिखा जाना भी लिपिकीय भूल है, जिसे सुधारा जा चुका है, और यह राशि मो. 31,58,865/- रु. है जो भूलवश मो. 3,58,865/- रु. हो गयी थी| लेखापरीक्षा दल द्वारा इसे देखा जा सकता है | पुनः यह भी कहा गया कि चेक क्रमांक/संख्या लिखने के दौरान हुई लिपिकीय भूल को सुधारा जा चुका है एवं आगे से रोकड़ बही के नियमों को ध्यान में रखते हुए एवं नियमानुकूल संधारण किया जायेगा |

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि रोकड़ बही में किये गए सुधारों में अंकेक्षण ज्ञापन का कोई सन्दर्भ/संज्ञान नहीं लिया गया था तथा सम्बंधित सुधार/प्रविष्टि कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा सत्यापित/अभिप्रमाणित भी नहीं थे | अंकेक्षण ज्ञापनों का सन्दर्भ लेते हुए सुधारात्मक प्रविष्टियाँ कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा सत्यापित/अभिप्रमाणित किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को/अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाये |

(ii) रोकड़ बहियों के व्यय पक्ष में राशि कम दिखाया जाना : रु. 1,47,886/- (रु. 52,886/- + रु. 95,000/-).

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर(आरा) से सम्बंधित जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा संधारित रोकड़ बही (मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना) के संव्यवहार अवधि (01.04.2015 से लेखापरीक्षा अवधि तक) के नमूना परीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि दिनांक 13.06.2016 के डिटेल्ड व्यय के पृष्ठ संख्या बेरान्बे (92) की छठी प्रविष्टि व सातवीं प्रविष्टि, जो निम्न प्रकार से अंकित दिखाई गई थी, में निम्न त्रुटियाँ थीं :-

तिथि	पृष्ठ संख्या	विवरण	रोकड़	योग(रु.में)
13.06.2016	बेरान्बे(छठीप्रविष्टि)	Byexp. done	**52,886/-**	**16,70,718/-**
	बेरान्बे(सातवीं प्रविष्टि)	By exp. done	**10,909/-**	**16,81,627/-**

दिनांक 13.06.2016 की छठी प्रविष्टि के सम्बन्ध में बैंक पास-बुक के साथ मिलान के क्रम में पाया गया की इस राशि की कोई भी व्यय बैंक पासबुक में परिलक्षित नहीं थी तथा सातवीं प्रविष्टि, जो कुल रु. 1,05,909/- से सम्बंधित थी, उसके स्थान पर कुल व्यय रु. 10,909/- रोकड़ बही में दर्शाया गया था |

उपरलिखित तथ्यों/आंकड़ों को सम्पुष्ट करते हुए लेखापरीक्षा को उपर्युक्त त्रुटियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें|

जवाब में बताया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 92 में दर्ज मो. 52,886/- का चेक श्री कामेश्वर प्रसाद (संवेदक) को भुगतान किया गया था, जिसे संवेदक द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था, इस कारण इस राशि को बैंक पासबुक में दर्ज नहीं पाया गया है | पुनः मो.10,909/- रु; का भुगतान जो पृष्ठ संख्या 92 की सातवीं प्रविष्टि है, में लिपिकीय भूलवश मो.1,05,909/- के बदले मो. 10,909/- दर्ज हो गया था जिसका सुधार करते हुए रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 104 पर दर्ज किया गया है तथा लेखापरीक्षा द्वारा इसकी जांच की जा सकती है |

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि रोकड़ बही में किये गए सुधारों में अंकेक्षण ज्ञापन का कोई सन्दर्भ/संज्ञान नहीं लिया गया था तथा सम्बंधित सुधार/प्रविष्टि कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा सत्यापित/अभिप्रमाणित भी नहीं थे | अंकेक्षण ज्ञापनों का सन्दर्भ लेते हुए सुधारात्मक प्रविष्टियाँ कार्यपालक

अभियंता, जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा सत्यापित/अभिप्रमाणित किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को/अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाये

(iii) <u>रोकड़ बही के आवंटन/आय पक्ष में प्रविष्टि दर्ज न होना : रु. 17,55,000/-</u>

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर(आरा) से सम्बंधित दोनों ही कार्यालयों यथा जिला सचिव कोषांग तथा जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा संधारित किये जाते हैं | इन रोकड़ बहियों के नमूना परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ लेखापरीक्षा में प्रकाश में आयीं, जो निम्नवत हैं -

(i) जिला अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर(आरा) द्वारा संधारित रोकड़ बही में दर्ज इन्द्राज/प्रविष्टियाँ (संव्यवहार अवधि 23.06.2009 से 31.03.2012) की कोई भी पृष्ठ संख्या (आय-व्यय पक्ष) सत्यापित/अभिप्रमाणित नहीं थी|

(ii) कार्यालय, जिला अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर(आरा) द्वारा संधारित रोकड़ बहियों के नमूना जांच में पाया गया है कि अग्रिम के रूप में दी गयी राशियों को रोकड़ बहियों में व्यय के रूप में दर्शाया गया था, जो रोकड़ बही के संधारण के सामान्य नियमों के प्रतिकूल थे |

(iii) लेखापरीक्षा की अवधि से सम्बंधित कार्यालय द्वारा संधारित रोकड़ बही (मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना) जो 23.06.2009 से पहले की अवधि से सम्बंधित थी, लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रही | इस सम्बन्ध में यह भी पाया गया था कि दिनांक 23.06.2009 से पहले की अवधि में सामान्य कोषांग से अभियंत्रण कोषांग को आवंटन/योजना क्रियान्वयन मद में राशियाँ प्राप्त हुई थीं |

(iv) जिला अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर(आरा) के रोकड़ बही (संव्यवहार अवधि : 23.06.2009 से 31.03.2012) के नमूना जांच में यह पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या नौ (09) से लेकर पृष्ठ संख्या बारह (12) के आवंटन/आय पक्ष में इन्द्राज/प्रविष्टियाँ इस तरह से दर्शाई गई थी :-

तिथि	विवरण	जोड़(रु.में)
08.10.2009	B/F	1,77, 42, 567/-
13.10.2009	Received from DM, Bhojpur - Rs. 27,17,071/-	2,04,59,638/-
31.10.2009	Received from DM, Bhojpur -Rs. 73,12,508/-	2,77,72,146/-
31.10.2012		**2,77,72,146/-**

पुनः व्यय पक्ष में अक्टूबर, 2009 में कुल खर्च रु. 50,21,108/- दर्शाया गया था, जिससे इस महीने के अंत तक कुल अंत शेष रु. 2,27,51,038/- दर्ज था, जो इस पृष्ठ के अगले पृष्ठ संख्या दस(10) के आवंटन/आय पक्ष में निम्न इन्द्राज के रूप में दर्ज था:-

तिथि	विवरण	जोड़(रु.में)
01.11.2012	opening balance	2,27,51,038

पुनःअगले पृष्ठ संख्या ग्यारह(11) के आवंटन/आय पक्ष में निम्न इन्द्राज दर्ज थे :-

तिथि	विवरण	जोड़(रु.में)
30.11.2009	B/F	2,45,06,038

इतना ही नहीं, रोकड़ बही के तीन (03) पृष्ठों पर दर्ज इन्द्राज अक्टूबर 2009, अक्टूबर 2012, नवम्बर 2012 तथा नवम्बर 2009 से सम्बंधित थे तथा रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या दस के अंतशेष (Closing Balance) से रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या ग्यारह (11) के प्रारंभिक शेष (Opening Balance) में कुल रु. 17,55,000/- (सत्रह लाख पचपन हज़ार) का अंतर दर्शाया गया था|

उपरलिखित तथ्यों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को रोकड़ बहियों के संधारण में प्रकाश में लाई गयी त्रुटियों का साक्ष्य सहित विवरण उपलब्ध कराएं |

उपरलिखित चार बिन्दुओं में से सिर्फ अंतिम एक बिन्दु पर ही लेखापरीक्षित इकाई ने जवाब दिया|

जवाब में कहा गया कि तिथि में अंतर एक लिपिकीय भूल थी जिसका सुधार कर लिया गया है तथा पृष्ठ संख्या 11 के आवंटन/आय पक्ष में मो. 17,55,000/- की वृद्धि लिपिकीय भूल थी जो कि इतनी ही राशि जिला पदाधिकारी द्वारा प्राप्त है, भूलवश राशि की प्रविष्टि नहीं किया गया परन्तु इस राशि को जोड़कर पृष्ठ संख्या 11 के प्रारंभिक शेष में दर्शाया गया है, एवं इसका सुधार कर लिया गया है| अंकेक्षण दल द्वारा देखा जा सकता है |

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि रोकड़ बही में किये गए सुधारों में अंकेक्षण ज्ञापन का कोई सन्दर्भ/संज्ञान नहीं लिया गया था तथा सम्बंधित सुधार/प्रविष्टि कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा सत्यापित/अभिप्रमाणित भी नहीं थे | अंकेक्षण ज्ञापनों का सन्दर्भ लेते हुए सुधारात्मक प्रविष्टियाँ कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा सत्यापित/अभिप्रमाणित किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को/अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाये |

(iv) सचिव कोषांग के रोकड़ बही से निर्गत राशि का जिला अभियंत्रण कोषांग के रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं : रु. 52,03,186/-

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर(आरा) से सम्बंधित दोनों ही कार्यालयों यथा जिला सचिव कोषांग तथा जिला अभियंत्रण कोषांग द्वारा संधारित किये जाते हैं | इन रोकड़ बहियों के नमूना परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ लेखापरीक्षा में प्रकाश में आयीं, जो निम्नवत हैं -

(i) कार्यालय, सचिव कोषाग, जिला शहरी विकास अभिकरण(डूडा), भोजपुर(आरा) द्वारा संधारित रोकड़ बही के किसी भी पृष्ठ का कुल योग नहीं दर्शाया गया था| साथ ही, रोकड़ बही की मासिक/वार्षिक क्लोजिग भी नहीं की गई थी |

(ii) कार्यालय, सचिव कोषांग द्वारा सामान्य रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जा रहा था |

(iii) कार्यालय, सचिव कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर(आरा) द्वारा संधारित रोकड़ बही में दर्ज निम्न प्रविष्टियाँ कार्यालय, जिला अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर(आरा) द्वारा संधारित रोकड़ बही में नहीं पाई गयीं:-

तिथि	पृष्ठ संख्या	विवरण	रकम(रु. में)
04.02.2009	दो (2)	By Release of Fund to Agency for Execution of scheme	22,51,054/-
26.05.2009	छः (6)	-do-	16,94,307/-
12.10.2009	दस(10)	-do-	4,61,722/-
15.04.2010	सोलह(16)	-do-	7,96,103/-
			52,03.186/-

उपरलिखित तथ्यों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को रोकड़ बहियों के संधारण में प्रकाश में लाई गयी त्रुटियों का साक्ष्य सहित विवरण उपलब्ध कराएं |

जवाब अमान्य रहा |

कार्यालय सचिव कोषांग रोकड़ बही से सीधा व्यय किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत किये जाने तक तथा इस राशि को जिला अभियंत्रण कोषांग रोकड़ बही में लाकर खर्च न किये जाने के कारणों से अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये |

कंडिका 6

अप्रस्तुत अभिश्रव : रु. 19, 14,533/-

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), भोजपुर (आरा) के जिला अभियंत्रण कोषांग के द्वारा उपलब्ध कराये गए रोकड़ बहियों के नमूना जांच में पाया कि विभिन्न मदों से विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय किये गए थे, जिसका अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया | विवरणी निम्न है :-

क्रम संख्या	चेक संख्या	दिनांक	राशि	नाम
1.	000279	30.09.2016	35,200/-	सूरज प्रसाद एंड संस बैटरी एंड ट्रोली
2.	000095	09.11.2015	19,426/-	ज्योति ट्रेवल्स
3.	000090	05.11.2015	3200/-	प्रतिक रविधर, क.अ.
4.	000056	03.10.2015	11,011/-	कृष्णा कंसल्टेंसी
5.	053696	26.02.2015	5,000/-	रौशन कुमार, एप्पल टेबलेट एक्सेसरीज
6.	053680	27.01.2015	3904/-	रौशन कुमार, टेंडर प्रिंट
7.	053656	07.11.2014	10,258/-	साईं स्टेशनरी
8.	053646	14.10.2014	27,825/-	इंडिया साइंटिफिक कारपोरेशन
9.	053633	30.08.2014	7,778/-	साईं स्टेशनरी
10.	053634	30.08.2014	10,000/-	गौरी शंकर राम, अकाउंटेंट
11.	053625	28.07.2014	11,173/-	कृष्णा कंसल्टेंसी
12.	053618	03.07.2014	5,351/-	साईं स्टेशनरी
13.	053615	12.06.2014	11,825/-	गौरी शंकर राम, अकाउंटेंट
14.	053607	28.05.2014	9,190/-	स्मृति बजाज कूलर की खरीद हेतु
15.	053606	22.05.2014	9,190/-	-तथैव -
16.	053583	22.02.2014	20,000/-	आनंद कुमार आन्नद, लॉ एसोसिएट, ए.एन.कालेज
17.	053563	04.01.2014	5,500/-	कृष्णा कंसल्टेंसी, सामान की खरीद हेतु
18.	053535	15.10.2013	5,734/-	साईं स्टेशनरी
19.	053532	15.10.2013	6,475/-	कुमार स्टील फर्नीचर
20.	053526	08.10.2013	19,030/-	राजू बैटरी, बैटरी की खरीद हेतु
21.	053524	08.10.2013	6,500/-	----------तथैव इन्वर्टर ----------
22.	047431	12.06.2013	11,160/-	साईं स्टेशनरी
23.	046835	29.05.2013	24,910/-	स्मृति, कार्यालय सामान खरीद हेतु
24.	538668	26.02.2011	11,370/-	जागरण प्रकाशन
25.	538667	26.02.2011	3,749/-	-तथैव-

26.	538666	26.02.2011	6,426/-	-तथैव-
27.	538665	26.02.2011	3,250/-	-तथैव-
28.	0001000	16.11.2015	4,39,991/-	श्री प्रतिक रविधर, विभागीय कार्य हेतु
29.	000101	16.11.2015	4,53,323/-	-तथैव-
30.	000049	10.09.2015	3,04,456/-	श्री रौशन कुमार, रमना मैदान, स्टेट हाउस
31.	000050	10.09.2015	1,11,627/-	श्री प्रतिक रविधर, कोइलवर डिपार्टमेंट वर्क
32.	000115	11.07.2013	1,33,193/-	श्री प्रशांत कुमार सिंह, रमना मैदान में ग्रेनाइट एवं अन्य सामान
33.	000114	11.07.2013	1,67,508/-	-तथैव -
			19,14,533	

जवाब में कहा गया कि अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण के क्रम में पाए गए आकस्मिक व्यय से सम्बंधित अभिश्रव को अंकेक्षण दल द्वारा देखा जा सकता है |

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखापरीक्षित इकाई द्वारा अंकेक्षण दल को आकस्मिक व्यय से सम्बंधित अभिश्रव अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए |

कंडिका 7

बी.ओ.क्यू. की राशि का अवरोधन : रु. 77,18,141/-

जिला शहरी विकास अभिकरण(डूडा), भोजपुर (आरा) के अभियंत्रण शाखा में संधारित की जाने वाली बी.ओ.क्यू. रोकड़ पंजी के नमूना जांच में पाया गया कि इस मद में सितम्बर, 2016 तक राशि रु. 77.18.141/- (ब्याज सहित) पड़ी हुई थी |

लेखापरीक्षा में इतनी बड़ी राशि के रोकड़ पंजी में अव्यवहृत पड़े रहने के कारणों को स्पष्ट करने को कहा गया |

जवाब में कहा गया कि BOQ की राशि कार्यालय की आंतरिक स्रोत से आय है जिसे समय-समय पर योजनागत निकले गए विज्ञापनों पर व्यय किया जाता है | इससे सम्बंधित दिशा-निर्देश विभाग से प्राप्त कर निर्देश के आलोक में उक्त राशि पर विचार किया जा सकता है, जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा|

जवाब संतोषजनक नहीं था, क्योंकि BOQ के अंतर्गत इतनी बड़ी राशि अव्यवहृत पड़े रहने के बावजूद भी कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में विभाग से पत्राचार कर इसे उपयोग में लाने सम्बन्धी आवश्यक दिशानिर्देश प्राप्त करने में पूरी शिथिलता बरती गई |

भाग–III(TAN)

टिप्पणी 1 बैंक चार्ज काटा जाना : रु. 8708

जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गए बैंक पासबुक के नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के राशि के लेन-देन में विभिन्न प्रकार का बैंक चार्ज/कमीशन काटा गया था जबकि भारत सरकार के निर्देशानुसार सरकारी राशि के लेन-देन पर किसी भी प्रकार के बैंक चार्ज/कमीशन नहीं काटा जाना है| विवरण निम्न है :-

(I)Bank of Baroda , A/c No. 12040200000216		
Sl. No.	Date	Amount
1.	31-07-2009	78/-
2.	05-08-2009	83/-
3.	18-09-2009	138/-
4.	21-07-2010	166/-
5.	29-12-2010	34/-
6.	01-02-2011	168/-
7.	18-03-2011	110/-
8.	24-08-2011	110/-
9.	21-09-2011	166/-
10.	12-03-2012	166/-
11.	23-03-2012	110/-
12.	28-04-2012	169/-
13.	21-06-2012	169/-
14.	01.09.2012	67/-
15.	27.09.2012	169/-
16.	28.09.2012	337/-
17.	28.09.2012	2,922/-
18.	07.02.2013	337/-
19.	09.05.2013	169/-
SUB TOTAL		5668/-
Bank of Baroda, A/c No. 12040200000324		
1.	17-09-2012	562/-
2.	08-02-2013	337/-
SUB TOTAL		899/-
Bank of Baroda A/c No. 12040200000314		
1.	20-10-2011	55/-
2.	06-12-2012	169/-
3.	08-02-2013	337/-
SUB TOTAL		561/-
Bank of Baroda A/c No. 12040200000269		
1.	28-06-2010	55/-
2.	29-06-2010	55/-
3.	16-07-2010	55/-
SUB-TOTAL		165/-
Bank of Baroda A/c No. 12040200000271		
1.	28-09-2012	224/-
2.	04.10.2012	112/-
3.	29.01.2013	169/-

4.	30.01.2013	337/-
5.	14.03.2013	225/-
SUB-TOTAL		1,067/-
Bank of Baroda A/c No. 12040100017523		
1.	16.05.2012	84/-
2.	16.05.2012	28/-
3.	07.02.2013	236/-
SUB-TOTAL		348/-
GRAND TOTAL		8708

इस प्रकार, कुल रु. 8708 (रु. 5668 + रु. 899/- + रु. 561/- +रु. 165/- + रु. 1,067/-+ रु. 348/) कमीशन/चार्ज बैंक द्वारा काटा गया था | इस राशि की वसूली हेतु सम्बंधित बैंक से पत्राचार कर यथास्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराएँ |

जवाब अप्राप्त रहा |

इस सम्बन्ध में बैंक से पत्राचार के पश्चात बैंक द्वारा बैंक चार्ज/कमीशन के रूप में काटी गई राशि के लौटाए जाने तक कुल रु; 8.708/- अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है |

टिप्पणी- 2 अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के नियमानुसार सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना चाहिए |

अंकेक्षण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से 30.09.2016 तक नगर विकास विभाग, बिहार, पटना से जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर (आरा) को सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है | लेकिन इस हेतु अब तक अर्थात अंकेक्षण की अवधि तक कार्यालय में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था |

अतः अनुदान पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा साथ ही, आवंटन के विरूद्ध कितनी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को प्रेषित किया गया था यदि नहीं तो, इसके कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने हेतु कहा गया |

जवाब में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से अब तक जितने भी आवंटन जिला शहरी विकास अभिकरण को प्राप्त हुए हैं, उन सभी का संधारण वित्तीय वर्षवार रोकड़ पंजी में दर्ज किया जाता रहा है एवं इसे रोकड़ पंजी के आय पक्ष में देखा जा सकता है| अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है| व्यय किये गए राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र का ब्यौरा संलग्न है |

स्पष्ट है कि अनुदान पंजी का संधारण कार्यालय द्वारा अब तक नहीं किया जा रहा था | अनुदान पंजी का संधारण कर अंकेक्षण कार्यालय को उससे अवगत कराया जाए |

–हस्ता0–
(सत्येन्द्र कुमार सहाय)
ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I / स्था0नि0)